कार्यालय जिलाधिकारी, मैनपुरी

संख्या– तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/कोविड–19/2020–21 1680-13 दिनांक: 4 जुलाई, 2020

–आदेश–

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/8861 लखनऊ/ दिनांक 23.6.2020 एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासन आदेश 786/तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 महानिदेशक के पत्र संख्या–राज्य राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2019–20/8375 दिनांक 13.04.2020 एवं पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/8388 दिनांक 11.05.2020 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

आपको विदित है कि आज पूरा विश्व कोरोना (कोविड–19) वैश्विक महामारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। मैनपुरी भी इस संघर्ष से अलग नहीं है।

क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर इधर– उधर थूकने से कोरोना वायरस कोविड–19 को फैलने में सहायक हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269, 270, 278 में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करता है जो सामान्य आवास में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या पड़ोस या सार्वजनिक स्थान पर इसे फैलाता है, उस पर 500 रुपये का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है कोटपा–2003 की धारा–4, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

जैसे कि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करते हैं जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान–मसाला का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों पर इधर–उधर थूकने से कोरोना वायरस कोविड–19 को फैलने में सहायक हो सकता है अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान व पान–मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग तथा पान मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर सुसंगत नियमों/उपनियमों अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
मैनपुरी

पृ0सं0– तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/कोविड–19/2020–21 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1–निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी।
4– पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
5– मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
6– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मैनपुरी।
7– जिला पंचायत राज अधिकारी, मैनपुरी।
8– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मैनपुरी।
9– समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–मैनपुरी।
10– अधिशासी निदेशक यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।
11– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय, मैनपुरी।
12– चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, समस्त सामुदायिक/प्राथमिक/नगरीय स्वा0 केन्द्र को अनुपालनार्थ।
13– जनपद के समस्त कार्यालयों के विभागाध्यक्षों/कार्यालय अधीक्षकों/परिधिगत कार्यालय प्रभारियों को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
मैनपुरी